



In the
Reserve Bank of India
Foreign Exchange Department
Ahmedabad-380009

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
अहमदाबाद 380009

में उपस्थित / Present

जयन्त कुमार दाश / Jayant Kumar Dash

क्षेत्रीय निदेशक (गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली) /

मुख्य महाप्रबंधक (अहमदाबाद)

Regional Director (Gujarat, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli) /
Chief General Manager (Ahmedabad)

दिनांक: 10 अगस्त 2018 / August 10, 2018

सेफा.सीओ सं: 10314 / सी.ए.अह: 102 / 2017-18

CEFA.CO.ID.10314 / C.A. No. AHM - 102 / 2017-18

प्रकरण / Matter

अनन्य फ़ाइनेंस फॉर इंकलूसिव ग्रोथ प्रा. लि. /

Ananya Finance For Inclusive Growth Pvt. Ltd.

(CIN: U65993GJ2009PTC056691)

101, साकार-1 बिल्डिंग, गांधीग्राम स्टेशन के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009
101, Sakar - I Building, Opp. Gandhigram Station, Ashram Road
Ahmedabad - 380009

गुजरात / Gujarat



(आवेदक) / (Applicant)

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 15(1) तथा इसके अंतर्गत बनाए गयी विनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं यह आदेश पारित करता हूँ :

In exercise of the powers conferred under Section 15(1) of the Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Regulations/Rules/Notifications/Orders made there under, I pass the following order:

आदेश / Order

आवेदक द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत जारी विनियमों के उल्लंघनों को कंपाउंडिंग करने हेतु दिनांक 14 मई 2018 (भारतीय रिज़र्व बैंक में दिनांक 15 मई 2018 को प्राप्त) को कंपाउंडिंग आवेदन दिया गया है। निम्नलिखित फेमा उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की जानी : (i) इक्विटी में अंशदान के लिए विदेशी मुद्रा आवक की सूचना देने में निर्धारित 30 दिन से अधिक विलंब तथा (ii) भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति को शेयर जारी करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को निर्धारित 30 दिनों से अधिक विलंब से फार्म एफसी-जीपीआर प्रस्तुत करना। यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 की अनुसूची 1 के पैरा क्रमशः 9(1)(ए), तथा 9(1)(बी) [इसके बाद विनियमावली फेमा 20/2000-आरबी के रूप में संबोधित] के अनुसार।

The applicant has filed compounding application dated May 14, 2018 (received at Reserve Bank of India on May 15, 2018) for compounding of contraventions of the provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (the FEMA) and the regulations issued there under. The contraventions sought to be compounded are (i) delay beyond 30 days in reporting receipt of foreign inward remittance towards subscription to equity and (ii) delay beyond 30 days in submission of Form FC-GPR to



the Reserve Bank after issue of shares to a person resident outside India; in terms of paragraphs 9(1)(A) and 9(1)(B) respectively, of Schedule 1 to Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000 notified, vide Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May 2000 and as amended from time to time (hereinafter referred to as Notification No. FEMA 20/2000-RB).

2. मामले के प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

आवेदक कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 22 अप्रैल 2009 को निगमित हुई (CIN: U65993GJ2009PTC056691)। यह कंपनी अन्य ऋण प्रदान करने के कार्य में कार्यरत है जिसका एनआईसी कोड 64920 है। आवेदक कंपनी को विदेशी निवेशकों से स्वचालित मार्ग के अंतर्गत ₹ 20,49,00,959/- की कुल पाँच आवक राशि प्राप्त हुई तथा उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को निम्नानुसार रिपोर्ट किया गया।

The relevant facts of the case are as follows: The applicant company was incorporated on April 22, 2009 under the provisions of the Companies Act, 2013 (CIN: U65993GJ2009PTC056691). The company is engaged in activities of other credit granting, bearing NIC Code: 64920. The applicant company has received total five inflows amounting to ₹ 20,49,00,959/- from foreign investors under automatic route and reported the same to Reserve Bank of India as indicated below:

3. दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए):

Para 9(1) (A) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:

(तालिका A) (Table -A)

क्र. सं. Sr. No.	विप्रेषक Remitter	विदेशी आवक विप्रेषण की राशि / Amount of foreign inward remittance (₹)	प्राप्ति की तिथि / Date of receipt	आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि* / Date of reporting to RBI*	30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) / Days delay excluding prescribed time of 30 days
------------------	-------------------	---	------------------------------------	---	---



1	C 4 D, Netherlands	19480000	25.03.2015	24.04.2015	No Delay
2	C 4 D, Netherlands	520859	31.03.2015	24.04.2015	No Delay
	Sub Total A	20000859			
3	WWB Capital Partners LP, New York	90000100	09.10.2013	25.11.2013	17 days
4	C 4 D, Netherlands	30000000	24.03.2015	24.04.2015	01 days
	Sub Total B	120000100			

*9(1) (ए) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

* The date for calculation of delay under 9(1) (A) taken as date of inflow reporting by Company to AD.

दिनांक 7 नवम्बर 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R) /2017 - आरबी के विनियमन 13.1(1):

Regulation 13.1(1) of Notification No. FEMA 20(R) /2017-RB dated November 7, 2017:

(तालिका B) (Table -B)

क्र. सं. Sr. No.	विप्रेषक Remitter	विदेशी आवक विप्रेषण की राशि / Amount of foreign inward remittance (₹)	प्राप्ति की तिथि / Date of receipt	आरबीआई को रिपोर्ट करने की तिथि* / Date of reporting to RBI*	30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) / Days delay excluding prescribed time of 30 days
5	Gojo & Company Inc. Japan	64900000	22.02.2018	26.02.2018	No Delay
	Sub Total C	64900000			
	G. Total (A+B+C)	204900959			

*13.1(1) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

* The date for calculation of delay under 13.1 (1) taken as date of inflow reporting by Company to AD.

4. उपर्युक्त तालिका A एवं B से स्पष्ट है कि आवेदक ने ₹20,49,00,959/- की कुल पाँच आवक विप्रेषण राशि प्राप्ति की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक, अहमदाबाद के क्षेत्रीय कार्यालय को दी। उक्त पाँच में से ₹12,00,00,100/- की दो आवक राशियों की सूचना 01 से 17 दिनों के निर्धारित अवधि 30 दिन से अधिक के विलंब से सूचित किया गया। जबकि अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) के अनुसार, शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को यह सूचना निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार आवक राशि की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर देनी होती है।



इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

As indicated in the Table A & B above, the applicant reported the receipt of five inward remittances, amounting to ₹20,49,00,959/- to the Ahmedabad Regional Office of the Reserve Bank of India. Out of five inflows two inflows amounting to ₹12,00,00,100/- were reported with a delay ranging from 01 to 17 days beyond the prescribed period of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9 (1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations should report to the Reserve Bank of India as per the prescribed procedure not later than 30 days from the date of receipt of the amount of consideration. Thus the company stands to contravene the provisions stipulated in paragraph 9(1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000.

5. आवेदक ने इक्विटी शेयर आवंटित किए तथा निम्नानुसार एफसीजीपीआर फ़ाइल की:

The applicant allotted equity shares and filed FC-GPRs as stated below:

**3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी):
Para 9(1) (B) – Schedule 1 of Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 3, 2000:**

(तालिका C) (Table -C)

क्र. सं. Sr. No.	विदेशी निवेशक का नाम Name of the Foreign Investor	जारी किए शेयर की संख्या No of shares issued	शेयर की राशि Amount of shares (₹)	शेयर जारी करने की तिथि Date of issue of shares	आरबीआई को एफसीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि * Date of submission of FC-GPR to RBI *	30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) Days delay excluding prescribed time of 30 days
1	WWB Capital Partners LP, New York	9000010	90000100	31.10.2013	26.11.2013	No Delay
2	C 4 D, Netherlands	52017	520170	31.03.2015	27.04.2015	No Delay
	Sub Total A	9052027	90520270			



3	C 4 D, Netherlands	4947983	49479830	27.03.2015	27.04.2015	01 days
4	WWB Capital Partners LP, New York	9000000	90000000**	17.07.2015	15.11.2017	822 days
	Sub Total B	13947983	139479830			

* 9(1) (बी) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

* For calculation of days of delay under 9(1) (B) date of reporting to AD bank is taken as reporting to RBI.

** बोनस शेयर जारी करने की सूचना विलंब से देने के उल्लंघन को कंपौडिंग के लिए अंकित मूल्य (फेस वैल्यू) के बजाय उचित मूल्य (फैर वैल्यू) ₹2,99,70,000/- (₹3.33 * 90,00,000) लिया गया है।

** For the purpose of compounding of contravention on account of delay in reporting of issue of Bonus shares, fair value of shares ₹2,99,70,000/- (₹3.33 * 90,00,000 shares) has been considered instead of face value of shares

दिनांक 7 नवम्बर 2017 की अधिसूचना संख्या फेमा 20(R) /2017-आरबी के विनियमन 13.1(2):

Regulation 13.1(2) of Notification No. FEMA 20(R) /2017-RB dated November 7, 2017:

(तालिका D) (Table -D)

क्र. सं. Sr. No.	विदेशी निवेशक का नाम Name of the Foreign Investor	जारी किए शेर की संख्या No of shares issued	शेर की राशि Amount of shares (₹)	शेर जारी करने की तिथि Date of issue of shares	आरबीआई को एफसीजीपीआर प्रस्तुत करने की तिथि * Date of submission of FC-GPR to RBI *	30 दिन से अधिक का विलंब (दिनों में) Days delay excluding prescribed time of 30 days
5	Gojo & Company Inc. Japan	6400000	64000000	27.02.2018	12.03.2018	No Delay
6	C 4 D, Netherlands	2731299	27312900	30.03.2018	23.04.2018	No Delay
	Sub Total A	9131299	91312900			
	G. Total (A+B+C)	32131309	321313000			

* 13.1(2) के अंतर्गत विलंब की गणना करते समय एडी बैंक को आवक राशि रिपोर्ट करने की तिथि माना गया।

* The date for calculation of delay under 13.1 (2) taken as date of inflow reporting by Company to AD.

6. उपर्युक्त तालिका C एवं D से स्पष्ट है कि आवेदक ने ₹32,13,13,000/- की राशि का छः फार्म एफसी-जीपीआर फाइल किया है। उक्त छः फार्म एफसी-जीपीआर में से ₹13,94,79,830/- की राशि के दो फार्म एफसी-जीपीआर 1 से 822 दिनों के निर्धारित अवधि



30 दिन से अधिक के विलंब से फ़ाइल किए गए। जबकि 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा/ 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार शेयर जारी करने वाली किसी भारतीय कंपनी को इन विनियमों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक को एफ़सीजीपीआर प्रारूप में उसमें निर्धारित दस्तावेजों के साथ रिपोर्ट विदेशी निवेशक को शेयर आवंटन करने के 30 दिनों के अंदर किया जाना होता है। इस प्रकार कंपनी ने 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(बी) के अनुसार निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

As indicated in the Table C & D above, the applicant has filed six form FC-GPRs amounting to ₹32,13,13,000/-. Out of six FC-GPRs forms two form FC-GPRs amounting to ₹13,94,79,830/- were filed with a delay ranging from 1 to 822 days beyond the prescribed period of 30 days. Whereas, in terms of paragraph 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB, an Indian company issuing shares in accordance with these Regulations has to submit to the Reserve Bank of India a report in form FC-GPR, along with documents prescribed therein, within 30 days from the date of issue of shares to the overseas investor. Thus the company stands to contravene the provisions stipulated in Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000.

7. आवेदक को दिनांक 27 जुलाई 2018 के हमारे पत्र संख्या एफ़ई.अह. 145/06.04.15(A)CEFA 2018-19 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में स्वयं उपस्थित होकर तथा/ अथवा दस्तावेज यदि कोई हो, प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अवसर दिया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दिनांक 10 अगस्त 2018 को आवेदक के प्रतिनिधि सुश्री रेखा सिंहल, महाप्रबंधक (F&A) एवं सुश्री लविना परीख, कंपनी सेक्रेटरी उपस्थित रहे। आवेदक के प्रतिनिधि ने माना कि उनसे उपर्युक्त स्पष्ट किए गए उल्लंघन हुए हैं जिनके लिए माफी मांगी गई और कहा कि अननुपालन जानबूझकर नहीं किया गया है और कंपनी की ओर से अनजाने में त्रुटि हुई थी और कंपनी उसके लिए खेद प्रदर्शित करती है तथा उदार दृष्टिकोण रखने के लिये प्रार्थना करती है। वे अपने आवेदन के संबंध में कंपाउंडिंग प्राधिकारी के किसी भी निर्देश/ आदेश को स्वीकार करने को तैयार हैं।



The applicant was given an opportunity for personal hearing vide our letter FE.AH.No.145 /06.04.15 (A) CEFA /2018-19 dated July 27, 2018 for further submission in person and /or producing documents, if any, in support of the application. Ms. Rekha Singhal, General Manager (F&A) and Ms. Lavina Parikh, Company Secretary represented the applicant for the personal hearing on August 10, 2018. They admitted to the contraventions for which compounding has been sought and stated that the non-compliance was not intentional and was an inadvertent error on the part of the Company and they deeply regret the delay caused and requested to take lenient view. They also stated that they are willing to accept any direction/order of the Compounding authority in connection with their compounding application.

8. आवेदक के प्रतिनिधि ने प्रार्थना की कि उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए आवेदन के निपटान में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। अतः कंपाउंडिंग के लिए किए गए आवेदन पर आवेदक द्वारा किए गए प्राक्कथनों तथा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा इस संबंध में किए गए प्रस्तुतिकरणों के आधार पर विचार किया गया है।

The representative of the applicant requested that in view of the foregoing, a lenient view may be taken in disposal of the application. The application for compounding is, therefore, being considered on the basis of the averments made in the application as well as other documents and submissions made in this context by the applicant during personal hearing and thereafter.

9. दिनांक 14 मई 2018 के कंपाउंडिंग आवेदन में आवेदक द्वारा यह घोषित किया गया है कि आवेदन में दिया गया विवरण उनकी श्रेष्ठ समझ एवं मान्यता के अनुसार सत्य एवं सही है। दिनांक 11 जुलाई 2018 के कंपाउंडिंग आवेदन (एड्डनडम) के साथ दी गई अंडरटेकिंग में आवेदक ने यह घोषित किया है कि आवेदन की तिथि को किसी भी एजंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पड़ताल/अधिनिर्णयन नहीं किया जा रहा था तथा इस संबंध में आवेदक ने तत्पश्चात किसी भी एजंसी द्वारा उनके विरुद्ध कोई भी जांच/जांच-पड़ताल/अधिनिर्णयन प्रारम्भ होने की सूचना नहीं दी है। आगे यह भी घोषित किया गया है कि आवेदक ने फेमा, 1999 की धारा 17 अथवा 19 के तहत कोई भी अपील नहीं की है। तदनुसार, उक्त उल्लंघन जो कि इस आदेश में कम्पाउण्ड किए जा रहे हैं वे



आवेदक द्वारा दी गई उक्त घोषणा की सच्चाई के अधीन है तथा यह आदेश वर्तमान कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के प्रति पूर्वाग्रह के बिना है और अगर तत्पश्चात उक्त घोषणा झूठी एवं गलत होने का पता चलता है तो प्राधिकरण द्वारा वर्तमान कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

It has been declared in the compounding application dated May 14, 2018 that the particulars given by the applicant in the application are true and correct to the best of their knowledge and belief. It has been declared in the undertaking furnished with the compounding application (addendum) dated July 11, 2018 that the applicant was not under any enquiry / investigation / adjudication by any agency as on the date of the application and has, in this regard, not informed of initiation of any such enquiry /investigation / adjudication proceedings against it/him/her thereafter. It has further been declared that the applicant has not filed any appeal under section 17 or section 19 of FEMA, 1999. Accordingly, the above contraventions which are being compounded in this Order are subject to the veracity of the above declarations made by the applicant and this order is without prejudice to any other action which may be taken by any authority under the extant laws if the said declarations are subsequently discovered to be false and/or incorrect.

10. मैंने रिकॉर्ड में उपलब्ध दस्तावेजों आवेदक द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया। मेरे अनुसार आवेदक ने निम्नलिखित फेमा प्रावधानों का निम्नानुसार उल्लंघन किया है:

I have given my careful consideration to the documents on record and submission made by the applicant. Accordingly, I hold that the applicant has contravened the following FEMA provisions issued in terms of:

ए) विनियमावली 20/2000 -आरबी दिनांक 3 मई 2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (ए) का उल्लंघन : इस आदेश के पैरा 4 में उल्लिखितानुसार शेयर जारी करने हेतु विदेशी आवक विप्रेषण प्राप्ति की रिपोर्टिंग में विलंब। इस संबंध में उल्लंघन राशि ₹12,00,00,100/- है तथा विलंब की अवधि लगभग 01 से 17 दिनों की है।



Paragraph 9 (1) (A) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000- RB dated May 3, 2000: Due to delay in reporting of receipt of foreign inward remittances towards subscription of shares as detailed in paragraph 4 above. The amount of contravention involved is ₹12,00,00,100/- and the delay is for approximately 01 to 17 days.

बी) 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9 (1) (बी) का उल्लंघन : उक्त के पैरा 6 में दिये विस्तृत ब्योरे के अनुसार भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों को शेयर जारी करने के बाद फार्म एफसी-जीपीआर प्रस्तुत करने में विलंब। इस उल्लंघन के लिए उल्लंघन राशि ₹13,94,79,830/- है तथा विलंब की अवधि लगभग 01 से 822 दिनों की है ।

Paragraph 9 (1) (B) of Schedule 1 of FEMA Notification FEMA 20/2000 – RB dated May 3, 2000: Due to delay in submission of form FC-GPR, after issue of shares / CCDs to persons resident outside India as detailed in paragraph 6 above. The amount of contravention involved is ₹13,94,79,830/- and the delay is for approximately 01 to 822 days .

11. फेमा की धारा 13 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति फेमा प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो न्यायिक प्रक्रिया के बाद वह उल्लंघन राशि के तीन गुना तक के दंड के लिए उत्तरदायी होगा। परंतु ऊपर के पैरा में उल्लिखित मामले की परिस्थितियों तथा संबंधित साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उनके आधार पर मैं उल्लंघनों को कम्पाउंड करने की राशि के संबंध में उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हूँ तथा मानता हूँ कि दंड की राशि ₹1,44,500/- (एक लाख चवालीस हजार पाँच सौ रुपए मात्र) न्याय की अपेक्षाओं को पूरा करेगा।

In terms of Section 13 of the FEMA, any person contravening any provision of the Act shall be liable to a penalty up to thrice the sum involved in such contravention upon adjudication. However, taking into account the relevant facts and circumstances of the case as stated in the foregoing paragraphs, I am persuaded to take a lenient view on the amount for which the contraventions are to be compounded and therefore, I consider that amount of penalty of ₹1,44,500/- (Rupees One lakh forty four thousand five hundred only) will meet the ends of justice.



12. तदनुसार, फेमा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम 2000 के अंतर्गत ₹1,44,500/- (एक लाख चवालीस हजार पाँच सौ रुपए मात्र) की राशि के भुगतान पर मैं उपर्युक्त चर्चित तथ्यों पर आवेदक द्वारा माने गए उल्लंघनों, यथा 3 मई 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000 - आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(ए) तथा पैरा 9(1)(बी) के उल्लंघन, को कम्पाउण्ड करता हूँ। इस आदेश के 15 दिन के भीतर आवेदक को “भारतीय रिज़र्व बैंक” के पक्ष में दंडात्मक राशि ₹1,44,500/- (एक लाख चवालीस हजार पाँच सौ रुपए मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, ला गज्जर चेंबर्स, आश्रम रोड, अहमदाबाद 380009 के पास जमा करना होगा। निर्धारित अवधि के भीतर दंडात्मक राशि को जमा नहीं करने पर विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) दिनांक 3 मई 2000 के नियम 10 लागू होंगे।

Accordingly, I compound the admitted contraventions, namely contravention of paragraph 9(1) (A) and 9(1) (B) of Schedule 1 to Notification No. FEMA 20/2000-RB dated May 03, 2000, by the applicant, on the facts discussed above in terms of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 on payment of an amount of ₹1,44,500/- (Rupees One lakh forty four thousand five hundred only) which shall be deposited by the applicant with the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, La-Gajjar Chambers, Ashram Road, Ahmedabad –380 009 by a demand draft drawn in favour of the “Reserve Bank of India” and payable at Ahmedabad within a period of 15 days from the date of this order. In case of failure to deposit the compounded amount within the above mentioned period, Rule 10 of the Foreign Exchange (Compounding Proceedings) Rules, 2000 dated May 3, 2000 shall apply.

आवेदन तदनुसार निपटाया गया।

The application is disposed of accordingly.

दिनांक: 10 अगस्त 2018 को जारी

Dated the 10th day of August, 2018.

Sd/-

(जयन्त कुमार दाश / Jayant Kumar Dash)



FED, Ahmedabad CEFA.CO.ID.10314/C.A. No.AHM-102/2017-18
Ananya Finance For Inclusive Growth Pvt. Ltd

क्षेत्रीय निदेशक (गुजरात, दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली) /

मुख्य महाप्रबंधक (अहमदाबाद)

Regional Director (Gujarat, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli) /

Chief General Manager (Ahmedabad)